>

Title: Need to make payment to sugarcane farmers timely.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से आता हूँ। यह क्षेत्र गन्ने का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। लेकिन इस क्षेत्र का गन्ना किसान बहुत परेशान है तथा आंदोलनरत है। हालत यह है कि मिलें गन्ने का ठीक समय पर उठान नहीं करती हैं और समय से भुगतान नहीं करती हैं। मेरठ मंडल के किसानों द्वारा 15 दिन या उससे पहले मिलों पर डाले गए गन्ने का लगभग 800 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान चीनी मिलों पर बकाया है। देश की सर्वोच्च अदालत का यह फैसला है कि 15 दिन के बाद किए गए भुगतान पर मिलें किसानों को 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करें। क्या सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का पालन हो रहा है? इस आदेश का चीनी मिलों से पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या असंगठित गरीब किसान स्वयं यह लड़ाई लड़ सकता है?

उपाध्यक्ष जी, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का चीनी मिलों को कोई भय नहीं है तथा इसी कारण गन्ना किसान का भुगतान धीरे-धीरे किश्तों में अगले पेराई सीजन तक मिलें करती रहती हैं। वर्ष 2009-10 के पेराई सीजन का 75 रूपये प्रति क्विंटल का अंतर मूल्य अभी तक किसानों को नहीं मिला है। पिछले वर्ष ही सर्वोच्च न्यायालय ने तीन किश्तों में किसानों का बकाया भुगतान करने के आदेश दिए थे। 7 जून, 7 जुलाई तथा 7 अगस्त 2012 में यह भुगतान होना था परन्तु इन आदेशों का भी पालन नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष जी, किसान का इसी प्रकार से शोषण तथा उत्पीड़न होता है। उसे उसकी उपज का भुगतान कई-कई महीनों बाद किश्तों में मिलता है, उसे ब्याज मिलता नहीं, परंतु ब्याज देना पड़ता है। समय से बिल न चुकाने से उसकी बिजली काट दी जाती है। ऋण की किश्त समय से न चुकाने पर प्रशासन द्वारा उसकी आर.सी. काट दी जाती है, उसको अपमानित किया जाता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस संबंध में हस्तक्षेप करे। वर्ष 2009-10 का 75 रूपये का अंतर मूल्य किसानों को दिलवाया जाए। किसानों का भुगतान समय से दिलाना सुनिश्चित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार भुगतान में विलंब होने पर उसका ब्याज किसान को मिले तथा किसान को भुगतान न होने तक ऋण वसूली को रोका जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. on the 11th March, 2013.

18.41 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, March 11, 2013/Phalguna 20, 1934 (Saka).

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table.

* Not recorded.

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* Speech was laid on the Table.

* English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table

* Speech was laid on the Table.

** Introduced with the recommendation of the President.

* Introduced with the recommendation of the President.

* Not recorded as ordered by the Chair.

* Not recorded as ordered by the Chair.